रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2007/अग्रहायण 7, 1929
No. 517] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929

विदेश मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 733(अ).—सा.का.नि. 603 भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक, 23 दिसम्बर, 2006 में प्रकाशित को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

पृष्ठ संख्या-2

(पासपोर्ट आवेदन फार्म)

3. लिंग : पुरुष ☐ स्त्री ☐

पृष्ठ संख्या-7

(वैयक्तिक विवरण फार्म)

2. लिंग : पुरूष/स्त्री

पृष्ठ संख्या-11

खण्ड III- आवेदन फार्म को भरने के लिए कालम-वार दिशा-निर्देश

फोटो : पूरे चेहरे को दर्शाने वाला हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (तीन) आवश्यक है। एक फोटो फार्म पर चिपकाना होगा और दो फोटो पासपोर्ट फार्म, जिसे दो प्रतियां में भरना है, पर चिपकाने होंगे। श्याम एवं श्वेत फोटो, रंगीन अथवा काले चश्मे वाले फोटो अथवा यूनिफार्म में,

फोलसाइड प्रिंट अथवा कम्प्यूटर प्रिंटों को स्वीकार नहीं किया जायेगा । फोटो लगाने के लिए बाक्स में कृपया 3.5 से.मी. x 3.5 से.मी. आकार की अपनी हाल की और एक समान रंगीन फोटो चिपकाएं । फोटो हल्के रंग अथवा हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो, बाक्स में पूरी तरह से फिट होना चाहिए और किसी भी स्थिति में फार्म में दिए गए बॉक्स से छोटा न हो । बड़ी संख्या के लिए दो अतिरिक्त फोटो आवश्यक हैं ।

[illegible] का निशान बॉक्स की सीमाओं को छुए बिना पूरी तरह से बॉक्स के भीतर होने चाहिए । अंगूठे का निशान पुरुषों के मामलों में बाएं हाथ का और स्त्रियों के मामले में दाहिने हाथ का होना चाहिए ।

पृष्ठ संख्या -12

कालम -3- पुरुष/स्त्री के विकल्प के मामले में कृपया दिए गए बाक्स में यथा लागू पुरुष अथवा स्त्री लिखें ।

कालम 5 - जन्म का स्थान और देश : **यदि भारत में जन्म हुआ हो तो कृपया गाँव/कस्बा, जिला, राज्य जैसे स्थान के नाम का उल्लेख करें और यदि भारत से बाहर जन्म हुआ हो तो स्थान तथा देश के नाम का उल्लेख करें । यदि भारत विभाजन के पूर्व ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जो अब पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश में आता है, तो स्थान का नाम भरने के बाद देश का नाम- "अविभाजित भारत" लिखें। "अविभाजित भारत" का तात्पर्य उस भारत से है जिसे मूल रूप से यथा अधिनियमित यथा मूल रूप से लागू भारत सरकार अधिनियम, 1935 परिभाषित किया गया है।**

पृष्ठ संख्या -15

खण्ड III आवेदन फार्म को भरने के लिए कालम-वार दिशा-निर्देश

कालम 15

(II) संयुक्त अरब अमीरात(यू.ए.ई.) सउदी अरब अधिराज्य, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जार्डन, यमन, सूडान, ब्रूनेई, अफगानिस्तान, इण्डोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैण्ड और ईराक(उत्प्रवासन प्रतिबंधित) की यात्रा करने के लिए उत्प्रवासन की अनुमति अपेक्षित है।

इस कालम के अन्तर्गत दी गई खाली जगह में पात्रता श्रेणी का उल्लेख किया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के साथ समर्थनकारी दस्तावेज संलग्न किया जाना चाहिए । यह उल्लेखनीय है कि ई.सी.आर. पृष्ठांकन वाले पासपोर्ट धारकों को उपर्युक्त देशों में किसी गैर-रोजगार प्रयोजनों के लिए यात्रा शुरू करने से पूर्व प्रोटेक्टर आफ़ एमिग्रैन्ट्स कार्यालय से अथवा निर्दिष्ट पासपोर्ट कार्यालयों से ई.सी.आर. पृष्ठांकन को हर बार निलंबित कराना होगा । रोजगार प्रयोजनों के लिए ऐसे पासपोर्ट धारकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे प्रोटेक्टर आफ एमिग्रैंट्स के कार्यालयों से उत्प्रवासन की अनुमति प्राप्त करें , अन्यथा उन्हें निर्गम पत्तन पर ही यात्रा करने से रोक दिया जाएगा । अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे पत्र हैं तो ई.सी.एन.आर. के लिए आवेदन करें ताकि उनकी बाधामुक्त विदेश यात्रा सुनिश्चित की जा सके । यह भी ध्यान दिया जाए कि पासपोर्ट पुस्तिका पर केवल ई.सी.ओ.आर. श्रेणी की मुहर लगी होगी और यदि पासपोर्ट पुस्तिका पर ई.सी.आर. की मुहर नहीं होगी तो उन्हें ई.सी.एन आर स्तर का आवेदक समझा जाएगा ।

पृष्ठ संख्या -17

खण्ड-IV आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(क) पासपोर्ट

(1) **नये पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां संलग्न करें :**

(क) पते का प्रमाण (निम्नलिखित में से एक संलग्न करें) :

आवेदक का राशन कार्ड, प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से लेटर हेड पर प्रमाण-पत्र, पानी/टेलीफोन/गैस कनेक्शन का बिल/बिजली का बिल/चालू बैंक खाते की स्टेटमेंट/आयकर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग का पहचान-पत्र / पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति, नाबालिग के मामले में माता-पिता के पासपोर्ट की प्रति । उपर्युक्त के अलावा आवेदक आवासीय पते के स्वीकार्य प्रमाणस्वरूप पासयोर्ट सूचना पुस्तिका के खण्ड iv पैरा ग,(ख)(क) में दिए गए 14 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकता है यदि इन दस्तावेजों में दिया गया आवासीय पता मौजूदा पते के अंतर्गत पासपोर्ट आवेदन-पत्र में दिए गए पते के समान हो। **(टिप्पणी : यदि कोई आवेदक पते के प्रमाण के रूप में केवल राशन कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे उपर्युक्त श्रेणियों में से पते का एक अतिरिक्त प्रमाण इसके साथ संलग्न करना होगा) ।**

पृष्ठ संख्या -23

खण्ड-V शपथपत्र/घोषणा का नमूना

अनुबंध-'ख'

केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों(पति/पत्नी और आश्रित बच्चों) को पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (जो लागू न हो, उसे काट दें)

(मूल स्टेशनरी में डुप्लीकेट रूप में दिया जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/श्री (तारीख)से..... (कार्यालय का पता) के/की..... अस्थायी/स्थायी कर्मचारी है और वर्तमान में..... के पद पर कार्यरत हैं । श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी..... जो श्री/श्रीमती..... की आश्रित परिवार के/की सदस्य हैं और उनकी पहचान प्रमाणित है । इस मंत्रालय / विभाग/संगठन को उन्हें पासपोर्ट दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है । अधोहस्ताक्षरी इस पहचान प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत है । मैंने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधानों को पढ़ लिया है और प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदक के मामले में ये लागू नहीं होते हैं । मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाने की सिफारिश करता हूँ । प्रमाणित किया जाता है कि यह संगठन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/ सांविधिक निकाय है / श्री/श्रीमती (कर्मचारी) की पहचान पत्र सं..... है ।

संदर्भ सं. और

तारीख.....

नाम, पदनाम, पता और दूरभाष

IndiaCode

आवेदक का फोटो प्रमाणीकरण प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा

पृष्ठ संख्या -26,27,28,29

अनुबंध - 'घ'

सत्यापन प्रमाण -पत्र का नमूना (केवल तत्काल स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए)

(सत्यापन प्राधिकारी की आधिकारिक स्टेशनरी पर)

(अनुबंध-ङ) के अनुसार मानक शपथपत्र के साथ दो प्रतियों* में दिया जाए)

संदर्भ सं0

आवेदक का फोटो

सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी, आवेदक का फोटो अपने हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर से इस तरह से साक्ष्यांकित करे कि उसके हस्ताक्षर तथा मुद्रर आधा फोटो पर तथा आधा प्रमाण -पत्र पर हो ।

सत्यापन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....जिनका व्यक्तिगत ब्यौरा नीचे दिया गया है, सच्चरित्र और प्रतिष्ठितय है तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के उपबंधों को पढ़ने के पश्चात मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवदेक के मामलें में ये उपबंध लागू नहीं होते हैं और मैं उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश करता हूँ। आवेदक अपने पते पर पिछले एक वर्ष से लगातार रह रहा/ रही है।

IndiaCode

जन्म तारीख.....

जन्म स्थान.....

शैक्षणिक योग्यता.....

व्यवसाय (सरकारी/निजी सेवा / अन्य).....

स्थायी पता.....

वर्तमान पता.....

स्थान.....

कार्यालय का पता तथा उसका स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

कार्यालय की मुहर

पूरा नाम.....

पदनाम.....

पहचान पत्र सं0.....

(पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)

टेलीफोन नं. (कार्यालय).....(आवास).....

मोबाइल नं.....

टिप्पणी: 1 सत्यापन प्रमाण पत्र पर आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना भी अपेक्षित है और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी होना अपेक्षित है जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा रबड़ की मुहर इस रूप में हो कि हस्ताक्षर तथा मुहर का आधा भाग फोटो पर तथा आधा भाग प्रमाण पत्र पर हो ।

2. यदि आवेदक ने पिछले एक वर्ष के दौरान एक से अधिक स्थान पर निवास किया हो तो संगत तिथियों के साथ सभी पूर्व पतों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

IndiaCode

3. यह सत्यापन प्रमाण-पत्र निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए:

(i) भारत सरकार का कोई अवर सचिव/उपसचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मंत्रिमंडल सचिव।

(ii) राज्य सरकार का निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/मुख्य सचिव।

(iii) आवेदक के निवास के जिले का कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट।

(iv) आवेदक के निवास के जिले का कोई जिला पुलिस अधीक्षक/रेंज डी.आई.जी./आई.जी./डी.जी.पी.।

(v) थल सेना में मेजर और इससे ऊपर, नौ सेना में ले0 कमांडर तथा इससे ऊपर, वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर तथा इससे ऊपर।

(vi) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का महाप्रबंधक।

(vii) किसी अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा के सभी सदस्य जिनका पद भारत सरकार के अवर सचिव के समकक्ष तथा इससे ऊपर है अर्थात जिनका वेतनमान 10,000-15,200 अथवा इससे अधिक है ।

(viii) सभी राज्य सरकारों के दिल्ली स्थित रेजिडेंट आयुक्त/अपर रेजिडेंट आयुक्त ।

(ix) आवेदक जिस क्षेत्र में रह रहा है, उस क्षेत्र की अधिकारिता के अंतर्गत संबंधित तहसीलदार अथवा संबंधित एस.एच.ओ.।

(x) फिक्की, सी आई आई और एसोचेम की सदस्य कंपनियों के स्वामियों, साझीदारों और निदेशकों के संबंध में संबद्ध शीर्ष व्यापार संगठन के अध्यक्ष -अनुबंध 'ञ' में निर्धारित प्रोफार्मा में।

4. गलत सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने वाले किसी अधिकारी के विरूद्ध पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(2) के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है ।

5. **पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(ग)**

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, पासपोर्ट प्राधिकारी निम्नलिखित आधारों में से किसी एक अथवा एक से अधिक आधार पर न कि अन्य आधार पर खंड (ग) की उपधारा 5 के अंतर्गत विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने से मना कर देगा, अर्थात

(क) आवेदक भारत का नागरिक न हो ।

(ख) आवेदक, भारत के बाहर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो या होने की संभावना हो जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल हों ।

(ग) आवेदक का भारत से बाहर प्रस्थान करना भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो अथवा होने की संभावना हो ।

(घ) आवेदक का भारत से बाहर उपस्थिति से किसी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध प्रतिकूल हो सकते हों अथवा होने की संभावना हो ।

(ङ.) आवेदन की तिथि के तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषसिद्ध किया गया हो और उस संबंध में उसे कम से कम दो वर्ष की सजा सुनायी गई हो ।

(च) आवेदक द्वारा तथाकथित किए गए किसी अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही भारत के किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत किसी न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति के लिए वारंट अथवा समन, अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया हो,अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा आवेदक के लिए भारत से बाहर प्रस्थान न करने का आदेश जारी किया गया हो ।

(ज) आवेदक को प्रत्यावर्तित किया गया हो और उसने ऐसे प्रत्यावर्तन के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति न की हो ।

IndiaCode

[फा. सं. VI/401/1/5/2006]

आर. स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव (सौपीवी)

टिप्पणी : प्रधान नियम, दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के सा.का.नि. 691(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 50 (अ), दिनांक 7-2-1981
(ii) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 10-6-1981
(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 24-6-1982
(iv) सा.का.नि. 325(अ), दिनांक 12-4-1983
(v) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 13-6-1983
(vi) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 16-6-1983
(vii) सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 29-3-1985
(viii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 8-11-1985
(ix) सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 13-10-1987
(x) सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 11-2-1988
(xi) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 21-11-1988
(xii) सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 27-6-1990
(xiii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 20-7-1990
(xiv) सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 4-3-1991
(xv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 20-3-1991
(xvi) सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 21-6-1991
(xvii) सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 22-1-1992
(xviii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 15-6-1992
(xix) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 7-8-1992
(xx) सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 16-6-1993
(xxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 1-7-1993
(xxii) सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 10-7-1993
(xxiii) सा.का.नि. 833(अ), दिनांक 2-12-1994
(xxiv) सा.का.नि. 592(अ), दिनांक 7-8-1995
(xxv) सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 28-8-1997
(xxvi) सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 5-10-1998
(xxvii) सा.का.नि. 516(अ), दिनांक 8-7-1999
(xxviii) सा.का.नि. 827(अ), दिनांक 29-12-1999
(xxix) सा.का.नि. 34(अ), दिनांक 12-1-2000
(xxx) सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 22-5-2000
(xxxi) सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 22-5-2000
(xxxii) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 23-5-2000
(xxxiii) सा.का.नि. 529(अ), दिनांक 8-6-2000
(xxxiv) सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 4-7-2000
(xxxv) सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 25-7-2000
(xxxvi) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 28-6-2001
(xxxvii) सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 13-7-2001
(xxxviii) सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 2-8-2001
(xxxix) सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 2-11-200
(xl) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 5-12-2001
(xli) सा.का.नि. 235(अ), दिनांक 28-3-2002
(xlii) सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 23-5-2003
(xliii) सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 16-6-2005
(xliv) सा.का.नि. 603(अ), दिनांक 23-12-2006
(xlv) सा.का.नि. 242(अ), दिनांक 29-5-2007

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th November, 2007

G.S.R. 733(E).—GSR No. 603 notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i) dated 23rd December, 2006 is hereby amended as follows :

Page No. 40

(Passport Application Form)

3. Sex Male ☐ Female ☐

Page No. 43

(Personal Particular Form)

2. Sex : Male/Female

PAGE NO. 45

SECTION III - COLUMN-WISE GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

PHOTGRAPHS: Recent passport size photographs (Three) in colour showing frontal view of full face are required. One photograh is to be pasted on form and two on the PP forms, which is to be filled in duplicate. **Black and white photograph, photograph with coloured or dark glasses or in uniform, Polaroid prints or computer prints will not be accepted.** In the box meant for affixing the photograph, please paste your recent and identical colour photograph of size 3.5 cm x 3.5 cm. **Photograph should have a white or a light coloured background.** Photograph should fit exactly in the box and in any case not smaller than the box provided in the form. For Jumbo booklets, two additional photographs are required.

COLUMN 3 –In case of Male/Female option, please write M or F as applicable in the box space provided.

COLUMN 5 – PLACE & COUNTRY OF BIRTH: In case born in India, please mention name of place like Village / Town, District, State and if born outside India, mention name of place and country. If born before partition of India, at a place, which now falls within Pakistan or Bangladesh, please fill up the name of place followed by Country as "Undivided India". Undivided India means India as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted".

PAGE NO. 46

SECTION III - COLUMN-WISE GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

COLUMN 15

(II) Emigration clearance is required for visiting United Arab Emirates (UAE), The Kingdom of Saudi Arabia (KSA), Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Libya, Jordan, Yemen, Sudan, Brunei, Afghanistan, Indonesia, Syria, Lebanon, Thailand and Iraq (emigration banned).

The eligible category should be mentioned in the blank space provided under this column and supportive documents should be attached with the application. It may be mentioned that passport holders with 'ECR' endorsement travelling t countries mentioned above for any non-employment purposes are required to have the 'ECR' endorsement suspended each time from the offices of the Protector of Emigrants (POE) or designated Passport Offices, before they undertake the travel. For employment purposes, such passport holders require emigration clearance from the offices of POEs. Otherwise, they will be stopped from travelling at the port of exit. Applicants are, therefore, advised to apply for ECNR, if they are eligible, to ensure hassle-free travel abroad. **It may be noted that the passport booklet will only have ECR category stamped and in case the passport booklet does not have ECR stamp, the applicant would be deemed to have been granted ECNR status.**

SECTION IV - DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION

(A) **PASSPORTS**

(1) While applying for a fresh passport attach two copies of the following documents:

(a) Proof of address (attach one of the following):

Applicant's ration card, certificate from Employer of reputed companies on letter head, water/telephone/Gas Connection bill/electricity bill/statement of running bank account/Income Tax Assessment Order/Election Commission ID card, Spouse's passport copy, parent's passport copy in case of minors. In addition to above, applicant may submit any of the 14 documents given in Section IV, para C(B) (a) of the Passport Information Booklet as admissible proof of residence, if such documents have residential address similar to the one given in the Passport Application form under present address. **(NOTE: If any applicant submits only ration eard as proof of address, it should be accompanied by one more proof of address out of the above categories).**

PAGE NO. 49

SECTION V – SPECIMEN OF AFFIDAVIT/DECLARATIONS

ANNEXURE 'B'

ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES STATE GOVERNMENT EMPLOYEES, EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS AND DEPENDANT FAMILY MEMBERS (SPOUSE AND DEPENDANT CHILDRENS) ARE REQUIRED TO PRODUCE A IDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT PORTION NOT APPLICABLE)

(To be given in Duplicate on Original Stationery)

Certified that SHRI/SHRIMATI/KUM Son/Wife of Shri of is a temporary/permanent employee of this (office address) from (date) and is at present holding the post of Shri/Smt./Miss/Mst.is/are a dependent family member(s) of Shri/Smt..... and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has no objection to his/her acquiring Indian Passport. The undersigned is duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is certified that this organization is a central / State Government / Public Sector / undertaking / statutory body. The Identity Card Number of Shri/Smt (employee).....is.....

Ref. No. &
Date
.....

Name, Designation, address & Tel No.

Applicant's photo to be attested by certifying authority

PAGE NO. 50 & 51

ANNEXURE 'F'

SPECIMEN VERIFICATION CERTIFICATE (FOR PASSPORT UNDER TATKAL ONLY)

(On official stationery of verifying authority)

(To be given in Duplicate* along with Standard Affidavit as at Annexure "I")

Reference Number

Applicant's Photo

(Verification Certificate issuing officer should attest the photograph of the applicant with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate).

Verification Certificate

This is to certify that Shri/Smt./Kum. son of/wife of/daughter of whose personal particulars are given below has good moral character and reputation and that after having read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967. I certify that these provisions are not attracted in case of this applicant and I, recommend issue of an Indian Passport to him/her. Applicant has been staying at his/her address continuously for the last one year.

Date of Birth
Place of Birth
Educational Qualification
Profession (Govt./Private Service/Others)
Permanent Address
Present Address

Place
Office Address with location
Date:

Signature

Office Seal

Full Name
Designation
I Card No.
(Enclose a photocopy of I Card)
Telephone No. (O).....(R).....
Mobile No.....

Notes:

1. The applicant's passport size photograph is also required to be affixed on the Verification Certificate and attested by the officer issuing the Verification Certificate with his/her signature and rubber stamp in such a way that half the signature and stamp appear on the photograph and half on the certificate.
2. If the applicant has resided at more than one place during the last one year then all previous addresses with the relevant dates should be mentioned.
3. This Verification Certificate may be got signed by any of the following:
 - (i) An Under Secretary/Deputy Secretary/Director/Joint Secretary/Add. Secretary/Special Secretary/Secretary/Cabinet Secretary to Government of India.
 - (ii) A Director/Joint Secretary/Additional Secretary/Special Secretary/Chief Secretary to a State Government.
 - (iii) A Sub-Divisional Magistrate/First Class Judicial Magistrate/Additional DM/District Magistrate of the district of residence of applicant.
 - (iv) A District Superintendent of Police/Range, DIG/IG/DGP of district of residence of applicant.
 - (v) A Major and above in the Army, Lt. Commander and above in the Navy and Sq. Leader and above in the Air Force.
 - (vi) The General Manager of a Public Sector Undertaking
 - (vii) All members of any All India Service or Central Service who are equivalent to or above the rank of an Under Secretary to the Government i.e. in the pay scale of Rupees 10,000-15,200 or above.
 - (viii) Resident Commissioners/Additional Resident Commissioners of all State Governments based in Delhi.
 - (ix) Concerned Tehsildars or Concerned SHOs for an applicant staying in the area under his/her jurisdiction.
 - (x) The Chairmen of the Apex Business Organisations i.e. FICCI, CII and ASSOCHAM in respect of owners, partners or directors of the companies that are members of the concerned Chambers in prescribed performa as at Annexure "J".
4. Anyone who issues incorrect verification certificate may be prosecuted under section 12(2) of the Passport Act, 1967.
5. **SECTION 6(2) OF THE PASSPORT ACT, 1967**

"Subject to the other provisions of this Act, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (C) sub-section 5 of anyone or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

- (a) that the applicant is not a citizen of India.
- (b) that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.
- (c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to be detrimental to the security of India.
- (d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country.
- (e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application been convicted by a court of India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof imprisonment for not less than two years.
- (f) that criminal proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a court in India.
- (g) that a warrant or summons for the appearance, of a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court.
- (h) That the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation.

[F. No. VI/401/1/5/2006]

R. SWAMINATHAN, Jt. Secy. (CPV)

Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* number GSR 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended *vide* :—

(i) GSR 50(E), dated 7.2.1981
(ii) GSR 494(E) dated 10.6.1981
(iii) GSR 469(E), dated 24.6.1982
(iv) GSR 325(E), dated 12.4.1983
(v) GSR 482(E), dated 13.6.1983
(vi) GSR 494(E), dated 16.6.1983
(vii) GSR 345(E), dated 29.3.1985
(viii) GSR 860(E), dated 8.11.1985
(ix) GSR 857(E), dated 13.10.1987
(x) GSR 84 (E), dated 11.2.1988
(xi) GSR 1155(E), dated 21.11.1988
(xii) GSR 622(E), dated 27.6.1990
(xiii) GSR 653(E) dated 20.7.1990
(xiv) GSR 100(E), dated 4.3.1991
(xv) GSR 275(E), dated 20.3.1991
(xvi) GSR 586(E), dated 21.6.1991
(xvii) GSR 111 (E), dated 22.1.1992
(xviii) GSR 684(E), dated 15.6.1992
(xix) GSR 721(E), dated 7.8.1992
(xx) GSR 477(E), dated 16.6.1993
(xxi) GSR 485(E), dated 1.7.1993
(xxii) GSR 503(E), dated 10.7.1993
(xxiii) GSR 833(E), dated 2.12.1994
(xxiv) GSR 592(E) dated 7.8.1995:
(xxv) GSR 491(E) dated 28.8.1997:
(xxvi) GSR 605(E), dated 5.10.1998
(xxvii) GSR 516(E), dated 8.7.1999
(xxviii) GSR 827(E), dated 29.12.1999
(xxix) GSR 34(E), dated 12.01.2000
(xxx) GSR 472(E), dated 22.05.2000
(xxxi) GSR 473(E), dated 22.05.2000
(xxxii) GSR 485(E), dated 23.05.2000
(xxxiii) GSR 529(E), dated 8.6.2000
(xxxiv) GSR 584(E), dated 04.07.2000
(xxxv) GSR 632(E), dated 25.7.2000
(xxxvi) GSR 482(E), dated 28.6.2001
(xxxvii) GSR 527(E), dated 13.7.2001
(xxxviii) GSR 576(E) dated 2.8.2001
(xxxix) GSR 817(E) dated 2.11.2001
(xl) GSR 879(E) dated 5.12.2001
(xli) GSR 235 (E) dated 28.3.2002
(xlii) GSR 429 (E) dated 23.05.2003
(xliii) GSR 399(E) dated 16.06.2005
(xliv) GSR 603 (E) dated 23.12.2006
(xlv) GSR 242(E) dated 29.05.2007

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.